18–10–22	अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट् द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन कि वादग्रस्त भूमि तहसील बज्जू के चक 16 बीएम के मुरब्बा नम्बर 49/45 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 18, 21 में तादादी 14 बीघा भूमि अपीलांट् के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा आराजी जैर को अपीलांट् के पूर्वजों व वर्तमान में अपीलांट् द्वारा काफी मेहनत व रूपया पैसा खर्च करके काबिज काश्त बनाया गया है। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षणा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28–01–2022 को अपीलांट् के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रिकार्ड व शपथ पत्र के आधार पर जारी की गई। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29–07–2022 तक निरन्तर जारी रही व दिनांक 29–07–2022 को बिना कोई कारण अंकित किये उक्त अस्थाई निषेधाज्ञाको आगे नहीं बढ़ाये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये। जबकि उक्त आदेश प्रसारित करने से पूर्व अपीलांट्/प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही मनमर्जी से की गई कार्यवाही है। जोकि न्यायिक प्रकिया की स्पष्ट रूप से अवहेलना की श्रेणी में आती है। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय	

क्षति के बिन्दु पर अपना मत व्यक्त करते हुए न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना चाहिए, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ऐसा कोई टिप्पणी अपने आदेश में अंकित नहीं की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट्/प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका था तथा अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के हक में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढ़ाये जाने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से जारी किये गये है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है, तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् के अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वादपत्र में तय होने शेष है। दौराने अवधि यदि अपीलांट् को आराजी जैर से बेदखल किया गया अथवा मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया तो उसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील बज्जू के चक 16 बीएम के मुरब्बा नम्बर 49/45 के किला नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 18, 21 में तादादी 14 बीघा भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक केवियटकर्ता द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन जोहड़ पायतन भूमि है। जिसमें प्रार्थी व समस्त ग्रामवासियों का हित निहित है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य सामने आने पर ही उनके द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढ़ाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जोकि विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया आदेश है। चूंकि वादग्रस्त भूमि मौके पर जोहड़ पायतान की भूमि है, ऐसी स्थिति में अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार व हित नहीं है। लिहाजा अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि तहसील बज्जू के चक 16 बीएम के मुरब्बा नम्बर 49/45 के किला

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 1 ता 5, 7 ता 13, 18, 21 में तादादी 14 बीघा भूमि के बाबत् धोषणात्मक वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28–01–2022 को अपीलांट् के हक में रिकार्ड के आधार पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जिसे स्टेट का जवाब प्राप्त होने पर दिनांक 29–07–2022 को आगे नहीं बढ़ाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति की मांग की गई है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के बाबत् दिनांक 28–01–2022 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी व अपीलाधीन आदेश के माध्यम से उसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। उक्त आदेश प्रसारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के आज्ञापक प्रावधान प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की परिभाषा में नहीं आने से उक्त आदेश दिनांक 29–07–2022 निरस्त किया जाता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना शेष होने अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्/प्रार्थी केवियटकर्ता को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(ए.एच.गौरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।